आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या 851/B.F./7/9/06-07 **दिनांक** 20/1/07

सेवा में,

श्री/~~श्रीमती~~ [illegible] - [illegible]

~~पुत्र/पुत्री/पत्नी~~ श्री [illegible]

निवास [illegible]

[illegible]

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड 398, 401, 402 स्थित [illegible] में प्रस्तावित निमार्ण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्ननांकित अनुबन्धों के अधीान की जाती हैः—

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश प्रदेश नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधिन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवंम् इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकडे बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निमार्ण कार्यो के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ० प्र० विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न संलग्नक 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

भवदीय

संलग्न : स्वीकृति मानचित्र

[illegible]

आगरा विकास प्राधिकरण

संख्या 851/B.F.T/9/06-07 **तद् दिनांक**

प्रतिलिपि—1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर महापालिका आगरा को सूचनार्थ।

2. सम्पत्ति अधिकरी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।

3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०.......................दिनांक..............................के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।

आगरा विकास प्राधिकरण